



2026:AHC:58660

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1445 / 2026

मुकेश गुप्ता

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: रायूफ अली

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए., राजीव कुमार

उपाध्याय

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रायूफ अली, गैंग चार्ट में उल्लिखित मूल मामले में सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार उपाध्याय, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 890/2025 अंतर्गत धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन - खलीलाबाद, जिला - संत कबीर नगर में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। गैंग चार्ट में उल्लिखित एक मूल मामले के आधार पर, आवेदक को गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध उल्लिखित मूल मामले के अतिरिक्त, आवेदक का एक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक इतिहास है, मुकदमा अपराध संख्या 945/2023, अंतर्गत धारा 323 और 506 आई.पी.सी. में दर्ज है और उक्त मामले में आवेदक को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर के आदेश दिनांक 18.3.2026 द्वारा जमानत दी गई थी। आवेदक 20.12.2025 से जेल/कारागार में है और उसने शपथ ली है कि वह फरार नहीं होगा, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और साक्षियों को डराएगा नहीं।

4. विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार उपाध्याय ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 940/2023, अंतर्गत धारा 323, 504 और 452 आई.पी.सी. के एक अन्य मामले में भी संलिप्त है। उक्त मामले के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार उपाध्याय ने दो तस्वीरें भी प्रस्तुत की हैं, जिनमें कथित तौर पर आवेदक और सह-अभियुक्त को हथियारों से लैस देखा गया है। उनका कहना है कि आवेदक और सह-अभियुक्त हथियारों से लैस होकर मूल मामले के सूचनादाता और उसके परिवार को लगातार धमका रहे हैं। उन्होंने आयुक्त बस्ती मंडल, बस्ती, पुलिस अधीक्षक, जिला संत कबीर नगर, जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर और आईजीआरएस पोर्टल पर दायर कुछ आवेदनों का भी हवाला दिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बावजूद आवेदक और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक सुनील विश्वकर्मा के नेतृत्व वाले गिरोह का सदस्य है। हालांकि आवेदक का कोई दर्ज आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी यह स्वीकार किया गया है कि मूल मामले के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि आवेदक में अपराध दोहराने की प्रवृत्ति है और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का परिशीलन किया।

7. एक ही मूल मामले के आधार पर, आवेदक को गैंग चार्ट में गिरोह सदस्य के रूप में दर्शाया गया है। उक्त मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया है। आवेदक को अन्य

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक मामले, मुकदमा अपराध संख्या 945/2023 में जमानत मिल चुकी है और जहां तक मुकदमा अपराध संख्या 940/2023 का संबंध है, सूचनादाता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चलता है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों को धारा 41-क सीआर.पी.सी. के अंतर्गत नोटिस दिया गया था। इस न्यायालय की राय में, आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण संतोषजनक है और चूंकि मुकदमा अपराध संख्या 940/2023 में आवेदक को धारा 41-क सीआर.पी.सी. के अंतर्गत नोटिस दिया जा चुका है और उसका कोई परिणाम नहीं बताया गया है, इसलिए न्यायालय की राय में, इसे आवेदक की जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

8. मूल मामले के सूचनादाता द्वारा दर्ज की गई शिकायतें, जिन पर विचार किया जा रहा है, फरवरी 2025, मार्च 2024, जनवरी 2025 और अप्रैल 2025 की हैं। हालांकि, अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कोई भी जानकारी अभिलेख पर नहीं लाई गई है। सूचनादाता ने अपनी शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा की गई निष्क्रियता के संबंध में न्यायालय के हस्तक्षेप की भी मांग नहीं की है। उक्त निष्क्रियता के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा एक रिट याचिका **आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 20739/2024** लंबित बताई जा रही है।

9. इस न्यायालय ने आवेदक की जमानत आवेदन, **आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12304/2025 (मुकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)** पर विचार करते हुए उक्त रिट याचिका की लंबितता और उसमें पारित आदेशों पर ध्यान दिया और उसके बाद आवेदक को जमानत प्रदान की गई। जमानत आदेश दिनांक 24.04.2025 का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

"8. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि सूचनादाता ने अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कई अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 20739/2024 दायर की थी, जिसमें 10.12.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:

"(ए) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तैयार की गई आक्षेपित सूचना दिनांक 22.07.2024 को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।"

(ख) शपथपत्र पर आधारित आवेदन दिनांक 12.07.2024 पर प्रतिवादी संख्या को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि आक्षेपित सूचना दिनांक 22.07.2024, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा तैयार किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2014) 2 एससीसी 1 (पैरा-110) में दिए गए विधि के दृष्टिगत अस्थिर है।

4. मामले के गुण-दोष पर आगे बढ़ने से पूर्व, प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 निर्धारित तिथि से पूर्व या उस तिथि तक इस मामले में शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।

5. इस मामले को 19.12.2024 को शीर्ष दस मामलों में पुनः सूचीबद्ध करें।"

9. इसके बाद, दिनांक 07.01.2025 को उक्त रिट याचिका में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. विद्वान ए.जी.ए. के अनुरोध पर, मामले को स्थगित किया जाता है। यह बताना पर्याप्त होगा कि अगली निर्धारित तिथि पर या उससे पहले, दिनांक 10-12-2024 के आदेश का अनुपालन किया जाना है।"

2. इस मामले को 27-01-2025 को शीर्ष दस मामलों में पुनः सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. मामले के सम्पूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक की हिरासत की अवधि और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित मूल मामले में जमानत पर है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

11. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

12. उपर्युक्त मामले/अपराध में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक- **मुकेश गुप्ता** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

13. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

मार्च 20, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।